बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0स0 :–2/अ0प्र0–1–216/2017 905 /पटना, दिनांक :– 12.5.2020

श्री विजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 के द्वारा वर्ष 2017 में बाढ़ आपदा के समय कर्त्तव्यहीनता एवं शिथिलता बरते जाने के कारण अधिसूचना संख्या–9835–सह–पठित ज्ञापांक 9836 दिनांक 20.08.2017 द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 3660 अनु0 दिनांक 21.12.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 26.12.2017 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं प्रश्नगत मामले में अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, किशनगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत अधिसूचना संख्या–275–सह–पठित ज्ञापांक 276 दिनांक 06.02.2018 द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार श्री कुमार दिनांक 20.08.2017 से 05.02.2018 तक निलंबित रहे।

3. श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर संकल्प ज्ञापांक 277 दिनांक 06.02.2018 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरांत अधिसूचना संख्या–867–सह–पठित ज्ञापांक 868 दिनांक 24.04.2020 द्वारा इनके विरूद्ध पेंशन से 05 (पाँच) वर्षों तक 05 (पाँच) प्रतिशत की कटौती का दंड अधिरोपित किया गया है।

4. श्री कुमार द्वारा अपने निलंबन अवधि के विनियमन हेतु विभाग को आवेदन दिनांक 07.01.2020 समर्पित किया गया था। श्री कुमार के विरूद्ध तत्समय विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय प्रक्रियाधीन रहने के कारण उन्हें यह सूचित किया गया कि निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय के पश्चात् लिया जायेगा।

5. श्री कुमार के विरूद्ध प्रश्नगत मामले में विभागीय कार्यवाही के पश्चात् दंड संसूचित कर दिया गया है। चूँकि श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में शास्ति अधिरोपित की गयी है। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 के सुसंगत प्रावधान के तहत श्री कुमार के निलंबन अवधि दिनांक 20.08.2017 से दिनांक 05.02.2018 में जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नही होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी, के रूप में विनियमित किया जाता है।

9/5/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–216/2017 908 /पटना, दिनांक :– 12.5.2020

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) हेतु प्रेषित।

9/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–216/2017 908 /पटना, दिनांक :– 12.5.2020

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–216/2017 908 /पटना, दिनांक :– 12.5.2020

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/गया/प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा), ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री विजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :– एम0–16, सेक्टर–1, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बरारी, भागलपुर, पिनकोड–812003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–216/2017 908 /पटना, दिनांक :– 12.5.2020

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/5/2020.

अपर सचिव